



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 547]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 21, 2000/श्रावण 30, 1922

No. 547]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 21, 2000/SRAVANA 30, 1922

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2000

का. आ. 765 (अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०नि०आ० 1181, तारीख 4 अप्रैल, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्यांक 9ए के सामने स्तंभ 2 में “राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17ए और 17बी” शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर “राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17ए और 17बी (19.5 कि.मी. से 40 कि.मी.) गोवा राज्य में वेरना से मोरमुगाओ पत्तन (को छोड़कर)” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा० सं० रा० रा०-12013/290/98-गोवा]

प्रफुल्ल कुमार, महानिदेशक (सड़क विकास) और अपर सचिव

टिप्पण : जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० 1027 (अ), तारीख 11-10-1999 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17बी गोवा राज्य सरकार को सौंपा गया था और इस अधिसूचना को तत्पश्चात् अधिसूचना सं० का० आ० 195(अ), तारीख 6 मार्च, 2000 (फाइल सं० रा० रा०-14019/3/99-पी एल) द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2000

S.O. 765(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the then Ministry of Transport number S.R.O. 1181, dated the 4th April, 1957, namely :—

In the Schedule to the said notification, against serial number 9A, in column 2 for the words, figures and letters “National Highway No. 17A and No. 17B”, the words, figures, letters and brackets “National Highway No. 17A and 17B [excluding from km 19.5 to km 40 (Verna to Mormugao Port in the State of Goa)]” shall be substituted

[F. No NH-12013/290/98-GOA]

PRAFULLA KUMAR, Director General (Road Development) and Addl. Secy

Note : National Highway No. 17B was entrusted to the State Govt of Goa vide notification No. 1027(E) of the Ministry of Surface Transport dated 11-10-1999 and subsequently amended vide notification No S O. 195(E) dated 6th March, 2000 (File No. NH-14019/3/99-PL).

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2000

क्रा. आ. 766 (अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17बी के 19.5 कि. मी. से 40 कि. मी. तक (वेरना से मोरमुगाओ पत्तन) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

[फा. सं. रा. रा.-12013/290/98-गोवा]

प्रफुल्ल कुमार, महानिदेशक (सड़क विकास) और अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2000

S.O. 766 (E).—In exercise of powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts National Highway No. 17B from km. 19.5 to km 40 (Verna to Mormugao Port) to the National Highways Authority of India.

[F. No NH-12013/290/98-Goa]

PRAFULLA KUMAR, Director General (Road Development) and Addl. Secy.